उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या–64/ III(1)/18–39(अधि0)/2006
देहरादून, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रख्यापित "उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 " की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–1/2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां लोक निर्माण विभाग, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून

पत्रांक 1165 व्यव-लो0/18 दिनांक 10.10.2018

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत, तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रचालित कराये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न– यथोपरि सेवा नियमावली-2018

1- समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0 नि0 वि0, रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/वर्ल्ड बैंक
2- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0
3- अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
4- प्रकीर्ण को/सूचना प्रकोष्ठ को
5- गार्ड फाइल

अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन)
विभागाध्यक्ष कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–।
संख्या– 1464 / III(1)18–39(अधि0)/2006
देहरादून. दिनांक 05-10 /2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007" (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक विद्युत व यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात:

स्तम्भ– 1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ– 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
भर्ती का स्रोत–5. (क) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/ शासनादेशों में विहित हो। **(ख)** मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा: परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल	**भर्ती का स्रोत–5. (क) (I)** सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतो से की जायेगी, अर्थात: **(अ)** पच्चानवे प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **(ब)** पांच प्रतिशत विभाग में मौलिक रुप से नियुक्त समूह 'ग' के कर्मचारियों, जिन्होनें विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् अथवा सेवा में आने से पूर्व नियम 8 में विहित अर्हताए अर्जित की हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को विभाग में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अपने– अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी:–** अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची निम्नलिखित मानकों के अनुसार तैयार की जायेगी:– **(एक)** ऐसे अभ्यर्थी जिसने पूर्वतर शैक्षणिक सत्र में विहित

स्वीकृत पदो के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरुप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा:–

(दो) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने विहित डिप्लोमा समान शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण किया हो तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी मौलिक नियुक्ति का दिनांक उसके संवर्ग में पूर्वतर हो, उसे पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

(तीन) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक भी एक समान हो जाये तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी अधिवर्षता का दिनांक पूर्वतर हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(।।) सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतो से की जायेगी, अर्थातः–

(अ) पचास प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ब) पचास प्रतिशत विभाग में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे मानचित्रकार (सिविल) के पद से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

[ख] (।) मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, को अपर सहायक अभियन्ता का नॉन फॅक्शनल वेतनमान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा अनुमन्य किया जायेगा। इस आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) नॉन फॅक्शनल पद भरे जायेगें।

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फॅक्शनल पद पर नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के नॉन फॅक्शनल पद भरे जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होगें तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

(।।) अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फॅक्शनल पद भरे जाने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पद का 03 माह का प्रशिक्षण तथा कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद का 03 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से प्राप्त करना